आर.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 126

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 60 / 2022 (रिनिता बनाम रविन्द्रसिंह आदि)

निर्णय दिनांक :— 17.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र कमांक भू0अ0 / 2022 / 27 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिकी दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.01.2023 को जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर